भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1501

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

सतत कोयला उत्पादन

1501. श्री जय प्रकाशः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

श्रीमती भारती पारधीः

श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला क्षेत्र के सतत् विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के संरक्षण, समाज की देखभाल और हमारे वनों और जैव-विविधता की सुरक्षा के लिए उपायों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो कोयला उत्पादन में सतत् वृद्धि के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं और ऐसी रणनीतियों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) हाल ही में किए गए उन सुधारों का ब्यौरा क्या है जिनसे कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बंद पड़ी खानों की संख्या कितनी है जिन्हें पुनः खोला गया है; और

(घ) कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और देश कोयला उत्पादन में अब तक कितना आत्मनिर्भर हो चुका है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : जी हां। कोयला क्षेत्र के सतत विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा, संसाधनों का संरक्षण, समाज की देखभाल और वनों और जैव विविधता की सुरक्षा करना अपेक्षित है। सरकार कोयला क्षेत्र के सतत विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा, संसाधनों का संरक्षण, समाज की देखभाल और हमारे वनों और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैः

(i) नई खान खोलने अथवा उत्पादन क्षमता और/अथवा भू-क्षेत्र में वृद्धि के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद में किए गए संशोधनों के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त की जाती है। पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन करते हुए खानों का प्रचालन किया जाता है जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित होती है।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980) के अनुपालन में वन भूमि से संबंधित परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व वानिकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है।

(iii) मंत्रालय द्वारा संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और समाज की देखभाल के उद्देश्य से खनन योजना और खान बंद करने संबंधी योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। लक्ष्य अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य को स्थायी रूप से प्राप्त करना और खदान के अंतिम रूप से बंद होने के बाद भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि उपयोग सुनिश्चित करना है। यह बंद करने की प्रक्रिया पर्यावरणीय संधारणीयता और वैधानिक नियमों के पालन दोनों को सुनिश्चित करती है। खान बंद करने के दिशा-निर्देशों में निर्धारित जैविक पुनरूद्धार, हरित पट्टी, वायु और जल का विकास और अन्य पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन आदि खान की परिचालन अवधि के दौरान और साथ ही खान की पोस्ट क्लोजर अवधि के दौरान किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार समापन कार्यकलापों के अनुपालन की जांच पैनलबद्ध तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा की जाती है और आवधिक अंतरालों पर सीसीओ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है।
(iv) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) और प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त की जाती है।

(v) ईसी/सीटीई/सीटीओ शर्तों के अनुपालन में परिवेशी वायु गुणवत्ता, बहिस्राव गुणवत्ता, ध्वनि स्तर की निगरानी और भूजल (दोनों स्तरों और गुणवत्ता) के संबंध में नियमित पर्यावरणीय निगरानी की जांच की जाती है और रिपोर्टें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को प्रस्तुत की जाती हैं।

(vi) कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विभिन्न पर्यावरणीय रूप से संधारणीय उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित पहलें - बायो-रिक्लेमेशन/पौधरोपण,

इकोपार्कों का विकास, खान जल का कुशल उपयोग, ओवरबर्डन का लाभप्रद उपयोग, ऊर्जा दक्षता उपाय, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं, कोयला खनन में ब्लास्ट फ्री प्रौद्योगिकी की संस्थापना, और नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ कोयला पहलें आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) : देश को कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि करने वाले सुधारों का विवरण निम्नानुसार है:

i. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अन्त्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।
ii. कोयला खदानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।
iii. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी इकाई।
iv. राजस्व साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।
v. वाणिज्यिक कोयला खनन के निबंधन और शर्तें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देना, अग्रिम राशि में कमी, मासिक भुगतान के प्रति अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता पैरामीटर, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के कारण बहुत उदार हैं।
vi. कोल इंडिया लि (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय अपनाए हैं। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, मुख्यत सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवाल

(एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल जहां कहीं संभव हो, बड़ी क्षमता वाली भूमिगत खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और भूतल खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

vii. एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

viii. सीआईएल ने खान विकासकर्ता तथा प्रचालक (एमडीओ) पद्धति के माध्यम से प्रचालित किए जाने के लिए 253 एमटीवाई क्षमता वाली 28 खानों को चिन्हित किया है।

ix. हाल ही में किए गए सुधारों के भाग के रूप में अब तक सफल बोलीदाताओं को 24 (चौबीस) बंद/समाप्त की गई खानें प्रदान की गई हैं। इनमें से 02 (दो) खानें महाराष्ट्र राज्य (एबी-इनक्लाइन और वालनी यूजी) की हैं और कोई भी खान मध्य प्रदेश राज्य की नहीं है।
